न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर(आरटीएस)

मि.न. 49/2020 दिनांक 27.01.2021

संरकार बनाम सरजीत वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 221/55.06है0 किस्म चारागाह मेंसे 1.25है0 पर सरजीत सिंह, ईश्वर सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली सरसों की बुआई कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर गैर सायलान को अनुतोष दिया जा सके। अतः गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने पटवारी रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायलान का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायलान सरजीत सिंह, ईश्वर सिंह, पुत्र भवानी सिंह जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम मलपुरा के ख0 न0 221/55.06है0 किस्म चारागाह में से 1.25है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई सरसों की फसल को नीलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 50रू. का पचास गुणा 2500 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 27.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020-21 ...... के रा० स० 4
के पृष्ठ संख्या 68.. पर....2500
रुपये कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली